राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 13/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर, बांसवाड़ा,राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ शासन सचिव स्वायत शासन विभाग शासन सचिवालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 10-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री चन्द्र स्वरुप माथुर, सलाहकार, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 9-1-17 से प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, आयुक्त नगर परिषद एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 9-1-17 जो कि गंदे पानी को सीवरेज प्लान्ट तक पहुंचाने के लिए 107 कि.मी. नई पाईप लाईन बिछाने के ठेके से सम्बन्धित था पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में कतिपय सूचना चाही चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 10-4-18 के साथ संलग्न रुडसीको के पत्र दिनांक 8-4-18 से संसूचित कर दिया गया था कि अपीलार्थी ने पत्र दिनांक 9-1-17 में कोई सूचना नहीं चाही है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 10-4-18 अपीलार्थी को प्रेषित कर प्रति आयोग को पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने एक ही आवेदन दिनांक 9-1-17 चार विभिन्न विभागों को प्रेषित कर उसी दिन दिनांक 9-1-17 को सूचना का आवेदन भी पोस्ट आर्डर क्रमांक 35 एफ 806522 के साथ प्रेषित कर उपरोक्त अभ्यावेदन पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही है जबकि उक्त तारीख

को सूचना का आवेदन एवं अभ्यावेदन दोनो अपीलार्थी के ही पास थे। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा की गई भविष्यगामी सूचना की वांछना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

8. फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की भावना एवं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना के आवेदन दिनांक 9-1-17 एवं उसके साथ संलग्न पत्र दिनांक 9-1-17 पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में अपना विनिश्चय/सूचना आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

9. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त